संगठनात्मक सहायता

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग की अध्यक्षता सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) करते हैं जिनकी मदद बागवानी आयुक्त करते हैं। यह बागवानी विकास के लिये नोडल एजेंसी है। बागवानी आयुक्त बागवानी प्रभाग की अध्यक्षता करते हैं तथा इस प्रभाग से संबंधित दो स्वायत्त संगठन तथा दो सम्बद्ध कार्यालय और कृषि में प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित एक सम्बद्ध राष्ट्रीय समिति है। इसके अलावा, राज्य के कृषि, बागवानी विभागों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके अलावा, बागवानी के विकास के लिये अपेडा, व्यापार बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि जैसे अन्य मंत्रालयों के संगठनों के साथ सम्पर्क भी स्थापित किये गये हैं।

बागवानी प्रभाग की संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित है :-

कृषि एवं सहकारिता विभाग में बागवानी प्रभाग जिसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समग्र त्वरित विकास की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के निम्नलिखित कार्य हैं -

- बागवानी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता तथा उपयोगिता में सुधार लाने के लिये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
- बागवानी के त्वरित विकास से संबंधित नीतियों का निरूपण और समर्थन।
- बागवानी फसलों की रोगमुक्त पादप सामग्री और बीज उपलब्ध कराना ।
- बागवानी विकास के लिये क्रियाकलापों को समन्वित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों तक प्रौद्योगिकी अंतरित करने के लिये सहायक का काम करना।
- लोगों को पोषकीय सुरक्षा तथा किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिये बागवानी उत्पादों की अत्यधिक खपत और बेहतर उपयोगिता को बढ़ावा देना।
- आदानों की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा मानव संसाधन विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिये मजबूत आधार विकसित करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ियों, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये बागवानी को बढ़ावा देना।

इस प्रभाग को दो बोर्डों, दो निदेशालयों तथा एक समिति की सहायता मिलती है। इनके क्रियाकलापों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः-

नारियल विकास बोर्ड :- सन् 1981 में स्थापित नारियल विकास बोर्ड को नारियल के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देकर देश में नारियल उद्योग के समेकित विकास का कार्य सौंपा गया है। इस बोर्ड के कार्य हैं - नारियल उद्योग के विकास के लिये उपाय करना, नारियल तथा इसके उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिये विधियां संस्तुत करना, नारियल की खेती तथा उद्योग में लगे हुये लोगों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, उत्पाद विविधीकरण तथा उत्पादकता में सुधार करना, उत्पाद विविधीकरण तथा उत्पादकता में सुधार लाकर क्षेत्र विस्तार के लिये वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना, नारियल से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, प्रचार तथा प्रकाशन से संबंधित क्रियाकलाप करना आदि । नारियल तथा इसके उत्पादों के प्रसंस्करण के लिये आधुनिक प्रौद्योकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, नारियल तथा इसके उत्पादों के आयात व निर्यात को विनियमित करने के लिये विधियां संस्तुत करना, नारियल तथा इसके उत्पादों के लिये श्रेणी, विनिर्दिष्टतायें तथा मानक निर्धारित करना भी इसके कार्य में शामिल हैं :-

इस बोर्ड का मुख्यालय कोचि, केरल में है तथा बंगलौर, पटना तथा चेन्नई में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय तथा हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी अगरतला, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में इसके 6 राज्यीय केन्द्र स्थित हैं। इसके अलावा, 9 प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्म भी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, बिहार त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में स्थापित किये गये हैं। बोर्ड विगत 19 वर्षों से विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित करता रहा है। उत्पादों के विविधीकरण तथा अत्यधिक उत्पादन व उत्पादकता के मामले में बोर्ड के प्रयास लाभकारी साबित हुये हैं। बोर्ड 5 भाषाओं में पत्रिकायें प्रकाशित करता है तथा

इसने अपनी सूचना प्रणाली स्थापित की है। नारियल विकास बोर्ड के संबंध में अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट http://www.coconutboard.nic.in. पर उपलब्ध है। नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 2001-2002 के दौरान नारियल प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित एक नई स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के ब्यौरों के लिये कृपया यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड :-

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में 1984 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में स्थित था। इसके कार्य बागवानी के समेकित विकास को बढ़ावा देना, फलों व सब्जियों तथा अन्य बागवानी फसलों के उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबन्ध में समन्वयन, प्रेरण तथा सतत बनाने में मदद करना थे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निम्नलिखित क्रियाकलाप हैं :-

(क) अभिज्ञात क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फार्मों का विकास करना तथा ऐसे क्षेत्रों को बागवानी के क्रियाकलापों से गतिशील बनाना जो आगे चलकर वाणिज्यिक बागवानी के विकास का काम करेगा।

(ख) कटाई-पश्चात प्रबन्धन संबंधी सुविधाओं का विकास करना।

(ग) मण्डी आसूचना प्रणाली और बागवानी के आंकड़ा आधार को मजबूत बनाना।

(घ) उन्नत विधियों तथा बागवानी प्रौद्योगिकी सहित विशिष्ट किस्मों के लिये उपयुक्त उत्पादों का विकास करने के लिये अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में मदद करना।

(ङ) नई प्रौद्योगिकियों तथा सस्य वैज्ञानिक पद्धतियों में सुधार लाने के लिये किसानों तथा प्रसंस्करण उद्योग के कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करना तथा,

(च) ताजे तथा संसाधित रूप में फलों/सब्जियों की खपत को बढ़ावा देना, आदि।

देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का समूचे देश में स्थित 33 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक तंत्र है। बोर्ड की कार्यवाहियों से बागवानी विकास के लिये अवसंरचना का विकास करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के संबंध में और अधिक ब्यौरा वेबसाइट http://www.hortibizindia. nic.in पर उपलब्ध है।

सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय :-

भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1.4.1966 से कालीकट, केरल में सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय की स्थापना की। इस निदेशालय का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर मसालों, औषधीय व सुगन्धिदायी पादपों तथा सुपारी के संबंध में

उचित विकासात्मक स्कीमों का निरूपण करना है। इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा सी.एस.आई.आर.के तहत क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से होता है तथा निदेशालय द्वारा इसकी मानीटरिंग की जाती है। निदेशालय राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाये रखने के अलावा सुपारी एवं मसालों के आयात एवं निर्यात, मूल्य प्रवृत्तियों, क्षेत्र तथा उत्पादन के संबंध में आंकड़ा का एकत्रण, संकलन तथा प्रकाशन करता है। इस निदेशालय के प्रयासों के फलस्वरूप इन उत्पादों के उत्पादन तथा गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

काजू एवं सुपारी विकास निदेशालय

काजू विकास निदेशालय की स्थापना केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1.4.66 को कोचीन में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में काजू का विकास करना था। कोको विकास का कार्य 1998 के दौरान इस निदेशालय को अंतरित कर दिया गया । काजू एवं कोको विकास निदेशालय देश में काजू तथा कोको के विकास के लिये स्कीमों तथा कार्यक्रमों के निरूपण एवं समन्वयन के लिये उत्तरदायी है। यह निदेशालय विकास की प्रक्रिया में राज्य सरकारों तथा राज्य स्तरीय अन्य एजेंसियों के साथ निकटस्थ सम्पर्क बनाये रखता है।

निदेशालय उत्पादन, मूल्य, विपणन तथा अन्य संबंधित समस्याओं सहित काजू तथा कोको विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराता है। यह प्रकाशनों के जरिये व्यावहारिक मूल्य के अनुसंधान निष्कर्षों तथा तकनीकी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये एक माध्यम के रूप में काम करता रहा है। निदेशालय के संस्थान से विश्वस्त गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन तथा उपलब्धता के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिली है। निदेशालय अपनी पत्रिका का नियमित प्रकाशन भी करता है।

बागवानी में प्लास्टिक कल्चर के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय समिति

यह समिति प्लास्टिक कल्चर प्रक्रिया के माध्यम से बागवानी विकास के लिये उत्तरदायी है, जिसे आरम्भ में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में शुरू किया गया था और जो 1993 से इस मंत्रालय से सम्बद्ध है। समिति के 17 महत्वपूर्ण फार्मिंग विकास केन्द्र हैं जो सूक्ष्म सिंचाई, ग्रीन हाउस खेती, पलवार डालने, आदि जैसे हाई-टेक बागवानी प्रयोगों और प्रेसीजन फार्मिंग को लोकप्रिय बनाने के लिये ताकि उन्नत उत्पादन प्राप्त किया जा सके, काम कर रहे हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री एन.सी.पी.ए.एच. के अध्यक्ष हैं तथा बागवानी आयुक्त सदस्य सचिव हैं।

मधुमक्खी पालन विकास बोर्ड

यह मधुमक्खियों से संबंधित कार्यक्रमों का समेकन करने के लिये एक समन्वयकारी बोर्ड है। इस बोर्ड के अध्यक्ष सचिव (कृषि एवं सहकारिता) हैं। बागवानी आयुक्त इस बोर्ड में सदस्य सचिव हैं। बोर्ड मधुमक्खियों के विकास के लिये चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेता है।

orgsetup

उपरोक्त के अलावा, वाणिज्य मंत्रालय में मसाला बोर्ड और कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जरिये विकास के लिये, विशेष रूप से विपणन तथा निर्यात के लिये, सहायता भी दी जाती है।